बिहार विधान-सभा वादवृत्त

बुधवार, तिथि 10 जुलाई, 1991 ई०

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में बुधवार, तिथि 10 जुलाई, 1991 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष श्री गुलाम सरवर के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
तिथि : 10 जुलाई, 1991 ई०

चन्द्रशेखर शर्मा,
सचिव
बिहार विधान-सभा

में दायर रिट याचिका तथा लोक सेवा आयोग एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा की गई आपत्ति पर सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा दिनांक 20.9.89 के उक्त निर्णय को निरस्त करते हुए कनीय अभियंताओं के रिक्त पदों के विरूद्ध नियमानुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। अतएव विभाग द्वारा प्रकाशित दिनांक 20.12.89 के विज्ञापन के तहत नियुक्ति संबंधी कार्रवाई नहीं की गयी एवं बाद में उक्त विज्ञापन को मई, 91 में निरस्त कर दिया गया ।

कर्मचारियों का समायोजन

499. श्री अनूपलाल यादव: श्री जगदानन्द सिंह : क्या मंत्री जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत कोशी बराज की सामान ढुलाई हेतु बथनाहा से वीरपुर तक मीटरगंज (रेलवे लाईन) का निर्माण 1960 में किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त रेलवे लाईन में माल ढुलाई हेतु सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त रेलवे लाईन के सभी सामानों की बिक्री करने का निर्णय बिहार सरकार ने अप्रील, 91 में लिया है;

(1) बथनाहा से भीमनगर (40 कि० मी० एवं भीमनगर से चतरा एवं घोपा) घराज 60 कि० मी० तक रेलवे लाईन का निर्माण किया गया था। यह नैरो गेज लाईन है, मीटर गेज नहीं।

(2) रेलवे को चलाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी थी।

(3) रेलवे द्वारा कोशी योजना के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों जैसे सीमेंट, लोहा, बोल्डर, मेटलचीप्स, कोयला आदि के ढुलाई की गयी थी। तदुपरांत बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो हेतु नेपाल क्षेत्र से बोल्डर आदि की ढुलाई का कार्य भी किया गया था। इस रेलवे लाईन के निर्माण में रेल मंत्रालय से पुराने रौलिंग स्टीक आदि खरीदकर लगाया गया था। करीब 15-16 वर्षों तक व्यवहार में आने के बाद यह लाईन अब काम लायक नहीं

रह गयी है तथा इस पर मरम्मति एवं सम्पोषण पर असमानुपातिक व्यय पड़ रहा है। अतः विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन रेल सामग्रियों को रेल मंत्रालय को खरीदने हेतु लिखा जाय और यदि रेलवे मंत्रालय इन्हें नहीं ले तो इस सम्पत्ति को निविदा आमंत्रित कर रिरौल करा कर विभाग ने निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इस विषय में रेल मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। अतिरेक कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग जल संसाधन विभाग में ही अन्य प्रमंडलों में किया गया है।

(4) उपरोक्त खण्डों में दिये गये उत्तर के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो उक्त रेलवे लाईन की विक्रय का क्या आधार है, तथा सरकार कार्यरत कर्मचारियों को समायोजन हेतु कौन-सी व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है ?